

298

विलोपित



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2016 निगरानी

दिनांक 2011-IV-16

दल सिंह पुत्र रामलाल जाति लोधी, आयु 67 वर्ष, निवासी- ग्राम हिरावल तेहसील चन्देरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

1. वीरन पुत्र जानकी लोधी, निवासी ग्राम हिरावल तेहसील चन्देरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)
2. म.प्र. शासन

..... असल अनावेदकगण

3. महेन्द्र पुत्र दल सिंह
4. बैजनाथ पुत्र दल सिंह निवासी ग्राम हिरावल तेहसील चन्देरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..... तरतीवी अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. मू.रा.सं. 1959 विरुद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी के प्रकरण क्र. 512/अपील/14-15 में पारित आदेश दिनांक 21.04.2016

माननीय महोदय,

आदेश की निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :-

पुदीय श्रीवाहन एस.
दिनांक 23-6-16 को
प्रस्तुत
म.प्र. शासन
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

हिरावल 23/6/2016
दल सिंह पुत्र दल सिंह

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 2011-दो/2016

जिला-अशोकनगर

दलसिंह विरुद्ध वीरन अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30.08.2019	<p>प्रकरण आज लिया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, चंदेरी जिला-अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 512/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 21.04.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू- राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27.07.2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25.09.2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा -54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला- अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 30.09.2019 को कलेक्टर, अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p>(3)</p> <p>(जे०के० जैन) सदस्य</p>	